

कार्यालय अध्यक्ष काउंसलिंग समिति, संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

प्रथम तल, टैगोर छात्रावास, क्रमांक टी-2, दूरदर्शन रोड, श्यामला हिल्स, भोपाल-462002

क्रमांक:- 4/शैक्ष./सी/2019/काउं/ ९५७

भोपाल, दिनांक ०६/०७/2019

आवश्यक सूचना


शैक्षणिक सत्र 2019-20 की काउंसलिंग में समिलित हो रहे सामान्य श्रेणी के "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" (EWS) अभ्यर्थियों हेतु

मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक:- एफ-०७-११/२०१९/आ.प्र./१, भोपाल दिनांक ०२ जुलाई २०१९ द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी (ई.डब्ल्यू.एस) को १० प्रतिशत आरक्षण की सुविधा लागू की गई है। उक्त सुविधा को काउंसलिंग में समिलित किया गया है। सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी (ई.डब्ल्यू.एस) के अभ्यर्थी यदि उक्त आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो निम्नानुसार कार्यवाही करें:-

पाठ्यक्रम	कार्यवाही
बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (बी.ई.)/ पीपीटी-माध्यम से डिप्लोमा पाठ्यक्रम	काउंसलिंग में समिलित हो चुके मध्यप्रदेश के सामान्य वर्ग के अभ्यार्थी (पंजीयन/सत्यापन/चॉइस लॉक कर चुके) यदि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो, उन्हें अधिकृत सहायता केंद्र पर उपस्थित होकर मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी ई.डब्ल्यू.एस. के प्रारूप में प्रमाण पत्र, संशोधित कार्यक्रम के अनुसार सत्यापित करवाना होगा। शेष अभ्यर्थियों को किसी भी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
एकीकृत एम.बी.ए/एकीकृत एम.सी.ए./बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टैक्नालॉजी/बी एवं डी फार्मेसी/डिप्लोमा (नॉन पीपीटी)	काउंसलिंग प्रथम चरण में प्रवेश प्राप्त कर चुके मध्यप्रदेश के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को, यदि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो, उन्हें प्रवेशित संस्था से अपना प्रवेश निरस्त करवा कर, द्वितीय चरण की काउंसलिंग में समिलित होने के पूर्व, उन्हें अधिकृत सहायता केंद्र पर उपस्थित होकर मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी ई.डब्ल्यू.एस. के प्रारूप में प्रमाण पत्र, संशोधित कार्यक्रम के अनुसार सत्यापित करवाना होगा।
एम.सी.ए.	काउंसलिंग के प्रथम चरण में समिलित हो चुके मध्यप्रदेश के सामान्य वर्ग के ऐसे अभ्यार्थी जो (पंजीयन करवा चुके हैं/दस्तावेजों का सत्यापन करवा चुके हैं/आवंटन के उपरान्त, आवंटित संस्था में रिपोर्ट नहीं किया है/आवंटन नहीं हुआ है) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें द्वितीय चरण की काउंसलिंग में समिलित होने के पूर्व, अधिकृत सहायता केंद्र पर उपस्थित होकर मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी ई.डब्ल्यू.एस. के प्रारूप में प्रमाण पत्र, संशोधित कार्यक्रम के अनुसार सत्यापित करवाना होगा।

कार्यवाही

पाठ्यक्रम	<p>पंजीयन/सत्यापन अथवा चॉइस लॉक कर चुके हैं, यदि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो, उन्हें दिनांक 06/07/2019 से दिनांक 14/07/2019 तक, अधिकृत सहायता केंद्र पर उपस्थित होकर मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी ई.डब्ल्यू.एस. के प्रारूप में प्रमाण-पत्र, सत्यापित करवाना होगा। शेष अभ्यर्थियों को किसी भी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।</p>
एम.बी..ए.(पूर्णकालिक)	<p>एम.बी.ए.(पूर्णकालिक) काउंसलिंग के प्रथम चरण में दिनांक 05/07/2019 तक सम्मिलित हो चुके मध्यप्रदेश के सामान्य वर्ग के अभ्यार्थी जो पंजीयन/सत्यापन अथवा चॉइस लॉक कर चुके हैं, यदि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो, उन्हें दिनांक 06/07/2019 से दिनांक 09/07/2019 तक, अधिकृत सहायता केंद्र पर उपस्थित होकर मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी ई.डब्ल्यू.एस. के प्रारूप में प्रमाण-पत्र, सत्यापित करवाना होगा। शेष अभ्यर्थियों को किसी भी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।</p>
एम.टेक.-एम.ई. (पूर्णकालिक) एवं एम.फार्मेसी	<p>एम.टेक.-एम.ई.(पूर्णकालिक) एवं एम.फार्मेसी काउंसलिंग प्रथम चरण में प्रवेश प्राप्त कर चुके मध्यप्रदेश के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को, यदि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो, उन्हें प्रवेशित संस्था से अपना प्रवेश निरस्त करवा कर, द्वितीय चरण की काउंसलिंग में सम्मिलित होने के पूर्व, उन्हें अधिकृत सहायता केंद्र पर उपस्थित होकर मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी ई.डब्ल्यू.एस. के प्रारूप में प्रमाण पत्र, संशोधित कार्यक्रम के अनुसार सत्यापित करवाना होगा।</p> <p>एम.टेक.-एम.ई.(पूर्णकालिक) एवं एम.फार्मेसी काउंसलिंग के प्रथम चरण में सम्मिलित हो चुके मध्यप्रदेश के सामान्य वर्ग के ऐसे अभ्यार्थी जो (पंजीयन करवा चुके हैं/दस्तावेजों का सत्यापन करवा चुके हैं/आवंटन के उपरान्त, आवंटित संस्था में रिपोर्ट नहीं किया हैं/आवंटन नहीं हुआ है) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें द्वितीय चरण की काउंसलिंग में सम्मिलित होने के पूर्व, अधिकृत सहायता केंद्र पर उपस्थित होकर मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी ई.डब्ल्यू.एस. के प्रारूप में प्रमाण पत्र, संशोधित कार्यक्रम के अनुसार सत्यापित करवाना होगा।</p>


[प्रो. (डॉ.) वीरेन्द्र कुमार]
अध्यक्ष काउंसलिंग समिति एवं
संचालक तकनीकी शिक्षा,
✓ मध्यप्रदेश